प्रेस विज्ञप्ति
06.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय के निदेश पर इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, रियल एस्टेट फर्म एसआरएस ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत में निर्वासित कर दिया गया है। प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिका के नेवार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश करने से मना कर दिया गया और अमेरिका के अधिकारियों द्वारा उनका बी1/बी2 वीजा रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्हें 02.11.2025 को नई दिल्ली वापस निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्हें ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर संबंधित एलईए द्वारा रोका गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरीदाबाद, दिल्ली और सीबीआई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत 81 एफआईआर के आधार पर एसआरएस समूह के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की। समूह पर निवेशकों और बैंकों को 2200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ईडी की जांच से पता चला है कि एसआरएस समूह के आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न और विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में निवेश करने के वादे के बदले एसआरएस समूह में निवेश करने के लिए लुभाया। ऐसे निवेशों से प्राप्त धन एसआरएस समूह द्वारा बनाई गई सैकड़ों मुखौटा कंपनियों में जमा किया गया और बाद में उसे बाहर भेजा गया। इस मामले में पहले ही 2215.98 करोड़ रुपये का एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया जा चुका है।

प्रवीण कुमार कपूर, एसआरएस ग्रुप के दो अन्य प्रवर्तक-निदेशकों - जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल के साथ कई वर्षों से फरार हैं और जांच से बच रहे थे। कपूर को ईडी द्वारा पीएमएलए, गुरुग्राम के विद्वान विशेष अदालत के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में आरोपी बनाया गया था। माननीय विशेष अदालत ने ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं। ईडी के प्रयासों के कारण, पीएमएलए, गुरुग्राम के एलडी विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और बाद में उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था। प्रवित कुमार कपूर, जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ईडी द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई थी। अन्य भगोड़े प्रवर्तक-निदेशकों की वापसी/प्रत्यार्पण सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

आगे की जाँच जारी है।